Gram : UNIVERSITY
FAX: 0512-2570006
Web: www.kanpuruniversity.org

	OFF.	RESI.
V.C. :	2570450	2570263
REGI. :	2570301	2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं० सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 2307 / 2016 दिनांक : 30/ 05/ 2016

सेवा में,

प्रबन्धक,
प्रस्तावित महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान,
निघासन, लखीमपुर–खीरी।

विषयः स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, चित्रकला एवं गृह विज्ञान विषयों में सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु कार्य परिषद / उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित कमियों / शर्तों की पूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय

कृपया उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत कार्य परिषद / उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति द्वारा **प्रस्तावित महात्मा बुद्ध लोक कल्याण एवं ग्राम्य विकास संस्थान, निघासन, लखीमपुर–खीरी** को **स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत बी०ए० पाठ्यक्रम के हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, चित्रकला एवं गृह विज्ञान विषयों** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **सत्र 2016–17** से आगामी **तीन वर्षों** हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु प्राप्त सम्बद्धता प्रस्ताव / निरीक्षण आख्या एवं संलग्न प्रपत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त सम्बद्धता पूर्व निम्नांकित कमियां / शर्तें अवधारित की गयी है:–

1. याचित पाठ्यक्रम के विषयों हेतु शिक्षक अनुमोदित नहीं है, अग्निशमन का प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है, नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 का प्रमाण पत्र मानकानुसार नहीं है एवं प्रबन्ध समिति का शपथ पत्र मानकानुसार नही है, की पूर्ति कर संस्था / महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने के पूर्व उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानको की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. विधि पाठ्यक्रमों में महाविद्यालय द्वारा द्वारा सम्बद्धता प्राप्त होने तथा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेंगे।
6. **विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में सम्बद्धता आदेश प्रदान करने एवं सीट्स आवंटन तथा कक्षा संचालन की अनुमति के पश्चात ही प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा।**
7. **रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बद्धता आदेश निर्गत होने के पूर्व संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 30.06.2016 तक उपलब्ध कराया जायेगा।**
8. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।

अतः आदेशानुसार अनुरोध करना है कि उक्तानुसार इंगित शर्तों / कमियों की पूर्ति (विशेषकर याचित पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित होने सम्बन्धी प्रपत्र अनिवार्य है) सम्बन्धी प्रपत्र एवं विभिन्न शासनादेशों व विश्वविद्यालय अधिनियम / परिनियम में निहित मानकों / दिशा–निर्देशों के अनुपालन सम्बन्धी शपथ–पत्र विश्वविद्यालय को **दिनांक 30.06.2016 तक** उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि समयान्तर्गत सम्बद्धता आदेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

***प्रतिलिपिः*– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. सम्बन्धित पत्रावली।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव